


कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)


आरक्षित दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23-03-2015
द्वारा दिनांक 01-04-2015 से पुनर्निर्धारित आरक्षित दर


क्र. सं.	योजना क्षेत्र	दिनांक 01-04-2012 से निर्धारित आरक्षित दर		दिनांक 01-04-2015 से प्रस्तावित आरक्षित दर	
		आवासीय	वाणिज्यिक	आवासीय	वाणिज्यिक
1.	हिरण-मगरी सेक्टर 9	200	400	300	600
2.	हिरण-मगरी सेक्टर 12	180	360	250	500
3.	हिरण-मगरी सेक्टर 14	200	400	275	550
4.	भूवाणा फेज - I	200	400	300	600
	भूवाणा फेज - II	200	400	300	600
	भूवाणा फेज - III	220	440	350	700
5.	पुलां विस्तार योजना	200	400	300	600
6.	मादडी पुरोहितान विस्तार योजना	160	320	250	500
7.	फतहपुरा विस्तार योजना	250	500	400	800
8.	श्री भूपाल कॉन्स्ट्रक्टिव सोसायटी	150	300	250	500
9.	सेन्ट्रल एरिया विस्तार योजना	200	400	300	600
B. व्यावसायिक योजना -					
10.	ट्रांसपोर्ट नगर	0	500	0	750
11.	सवसिटी सेन्टर	0	600	0	900




सचिव

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर
एवं सदस्य सचिव समिति


अध्यक्ष
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर
एवं अध्यक्ष समिति


वरिष्ठ नगर नियोजक
उदयपुर जोन, उदयपुर
एवं सदस्य समिति


अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर
एवं सदस्य समिति

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

आरक्षित दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक
23-03-2015 द्वारा दिनांक 01-04-2015 से
पुनर्निर्धारित आरक्षित दर

क्र. सं.	गैर योजना क्षेत्र	दिनांक 01-04-2012 से निर्धारित आरक्षित दर		दिनांक 01-04-2015 से पुनर्निर्धारित आरक्षित दर	
		आवासीय	वाणिज्यिक	आवासीय	वाणिज्यिक
1.	अहमदाबाद सड़क के पश्चिम में ग्राम गोवर्धन विलास की आबादी को सम्मिलित करते हुए आर्मी एरिया के वाउण्ड्री के साथ होते हुए नगरीयकरण योग्य क्षेत्र सीमा से होते हुए दक्षिण में फूटिया भेरुजी तालाब के दक्षिण में विद्यमान सड़क तक।	150	300	225	450
2.	फूटिया भेरुजी तालाब के दक्षिण में विद्यमान सड़क से होते हुए पश्चिम में नगरीयकरण योग्य सीमा से होते हुए Highway Control Belt को सम्मिलित करते हुए अहमदाबाद सड़क के पश्चिम का क्षेत्र।	150	300	200	400
3.	अहमदाबाद सड़क, वर्तमान बाईपास रोड एवं सलुम्बर रोड के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र दक्षिण में नगरीयकरण योग्य सीमा तक (पन्नाधाय योजना, कर्मचारी योजना, दक्षिण विस्तार योजना सेक्टर ए, बी, सी एवं डी एवं उनके विस्तार सेक्टर सहित सम्पूर्ण क्षेत्र)	160	320	250	500
4.	सलुम्बर सड़क एवं अहमदाबाद रेल्वे लाईन के बीच एवं प्रस्तावित देवारी काया बाईपास सड़क के दक्षिण पूर्व का नगरीयकरण योग्य क्षेत्र सीमा तक का क्षेत्र (कलडवास औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करते हुए)।	140	280	180	360
5.	सलुम्बर सड़क के पूर्व में अहमदाबाद रेल्वे लाईन तक तथा वर्तमान बाईपास रोड के दक्षिण में प्रस्तावित देवारी - काया बाईपास तक का क्षेत्र।	140	280	200	400
6.	झामर कोटडा सड़क के दक्षिण तथा वर्तमान में बाईपास सड़क के उत्तर का तथा सेक्टर-9 के पूर्व का क्षेत्र।	140	280	250	500

7.	सबसिटी सेन्टर के उत्तर-पूर्व एवं चित्तौडगढ़ रोड के दक्षिण का सेक्टर 3, 4, 5 की मुख्य सड़क के पश्चिम का गैर योजना क्षेत्र (उदयपुर शहर विस्तार योजना, मौली कॉलोनी, पानेरियों की मादडी, गाडरियावास, टेकरी, नौखा सहित)	180	360	300	600
8.	हिरण मगरी सेक्टर 3, 4, 5, 6 का गैर योजना क्षेत्र, 120 फीट चौड़ी के पूर्व तथा बाईपास सड़क के पश्चिम उत्तर में नदी तथा दक्षिण में रेलवे लाईन सड़क के मध्य का क्षेत्र।	200	400	300	600
9.	सुभाष नगर योजना, शिव पार्क कॉलोनी दुर्गा नर्सरी का सम्पूर्ण क्षेत्र उत्तर में आयड नदी तक तथा दक्षिण में चित्तौड रोड तक।	250	500	385	770
10.	ढोकर चौराहे से प्रतापनगर चौराहे एवं चित्तौडगढ़ रोड के दक्षिण में रेलवे लाईन के सहारे-सहारे मादडी रोड तक।	200	400	300	600
11.	चित्तौड रेलवे लाईन के उत्तर में विश्व विद्यालय मुख्य सड़क तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।	200	400	325	650
12.	विश्वविद्यालय सड़क के उत्तर में भूवाणा योजना एवं पुलों योजना के मध्य का क्षेत्र। (नदी के पूर्व एवं विश्वविद्यालय के पश्चिम का क्षेत्र)	150	300	275	550
13.	श्री भूपाल कोआपरेटिव सोसायटी के पूर्व में टिकली रोड होते हुए बाईपास सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग 78 तक) अम्बेरी चौराहे, सुखेर रोड होते हुए 200 फीट चौड़ी सड़क होते हुए आर टी ओ कार्यालय होकर वर्तमान बाईपास सड़क होकर टिकली रोड तक (भूपाल कोआपरेटिव सोसायटी को छोड़कर)	-	-	200	400
14.	चित्तौडगढ़ रोड पर टिकली रोड से होते हुए उत्तर में अम्बेरी चौराहा, नाथद्वारा रोड होते हुए इस सीमा के पूर्व का नगरीयकरण योग्य सीमा तक का क्षेत्र चित्तौडगढ़ रोड के उत्तर का सम्पूर्ण क्षेत्र।	-	-	200	400
15.	चित्तौडगढ़ रोड के दक्षिण में मादडी औद्योगिक क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पुरोहितों की मादडी योजना क्षेत्र को बाहर छोड़ते हुए वर्तमान बाईपास रोड के सहारे-सहारे दक्षिण दिशा में अहमदाबाद रेलवे लाईन के सहारे-सहारे प्रस्तावित देवारी काया बाईपास सड़क तक तथा प्रस्तावित बाईपास सड़क के सहारे-सहारे चलते हुए Highway Development Control Belt को शामिल करते हुए वापस चित्तौड रेलवे लाईन के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र।	120	240	200	400

16.	अहमदाबाद रेल्वे लाईन के पूर्व में उमरडा ग्रोथ सेन्टर के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुए नगरीयकरण सीमा के बीच का क्षेत्र।	-	-	200	400
17.	चित्तौडगढ़ रेल्वे लाईन एवं रोड के दक्षिण में प्रस्तावित देवारी काया बाईपास के पूर्व में प्रस्तावित उदयसागर के पास जी-02 क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए Zinc Industrial Area को सम्मिलित करते हुए वापस चित्तौडगढ़ रेल्वे लाईन तक के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र।	-	-	200	400
18.	चित्तौडगढ़ सड़क के दक्षिण में जिक औद्योगिक क्षेत्र को छोड़ते हुए नगरीयकरण सीमा तक का सम्पूर्ण क्षेत्र। (डबोक गांव एवं एयरपोर्ट सहित सम्पूर्ण क्षेत्र)	-	-	250	500
19.	डबोक चौराहे से मावली रोड पर पसरते हुए सीमेन्ट फॅक्ट्री को शामिल करते हुए नगरीयकरण सीमा के सहारे-सहारे तथा चित्तौडगढ़ पर Highway Development Control Belt को शामिल करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र।	-	-	225	450
20.	चित्तौडगढ़ रोड के उत्तर में जिक क्षेत्र के पास से चित्तौडगढ़ रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे गुजली औद्योगिक क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नगरीयकरण क्षेत्र तथा मावली रोड के सहारे-सहारे डबोक चौराहे तक के बीच का सम्पूर्ण क्षेत्र।	-	-	200	400
21.	भूवाणा योजना के उत्तर में सुखेर में 200 फीट चौड़ी सड़क तिराहे तक का क्षेत्र।	-	-	300	600
22.	अमरीश चौराया से अमरख जी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र एवं Highway Development Control Belt को सम्मिलित करते हुए गोगुन्दा रोड पर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र तक, वहां से गोगुन्दा होते हुए बडगांव येसिक रकृत के सामने प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क के साथ साथ नदी तक, वहां से नदी के साथ साथ वेदला पुलिया तक, वहां से भूवाणा चौराहा तक तथा वहां से नाथदारा रोड पश्चिम में अमरीश जी तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।	130	260	200	400
23.	देवाली (फतहपुरा) का गैर योजना क्षेत्र।	250	500	400	800
24.	देवाली फतहसागर तिराहे से बडी रोड के सहारे-सहारे बडी हॉस्पिटल तक तथा वहां से उत्तर दिशा में नगरीयकरण योग्य सीमा तक गोगुन्दा रोड तक, वहां से गोगुन्दा रोड के साथ साथ बिन्दु संख्या 22 की सीमा तक फतहपुरा विस्तार योजना को छोड़कर सम्पूर्ण क्षेत्र।	140	280	200	400




4.

25.	फतहसागर देवाली तिराहे से बडी हॉस्पिटल तक, बडी रोड के दक्षिण तथा सज्जनगढ तिराया, रामपुरा रोड के उत्तर का सम्पूर्ण क्षेत्र पश्चिम में नगरीयकरण सीमा तक।	150	300	225	450
26.	मन्नातलाई चौराहे से लक्ष्मेश्वर जाने वाली सडक के दक्षिण में (OTC B-Block को छोडते हुए) ग्राम कालारोही आबादी को सम्मिलित करते हुए नगरीयकरण योग्य सीमा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमा तक।	150	300	250	500
27.	परिधि नियन्त्रण पट्टी / फिन्ज एरिया में स्थित गैर योजना क्षेत्र।	120	240	180	360




सचिव
नगर विकास प्रन्धास, उदयपुर
एवं सदस्य सचिव समिति



अध्याक्ष
नगर विकास प्रन्धास, उदयपुर
एवं अध्याक्ष समिति



वरिष्ठ नगर नियोजक
उदयपुर जोन, उदयपुर
एवं सदस्य समिति



अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर
एवं सदस्य समिति